




क्रमांक: एफ(21)/1/आशा-सहयो. /2008/1502

दिनांक: 10/6/14

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
समस्त जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी,


**विषय:-** प्रति महीने उप-स्वास्थ्य केन्द्र/आंगनबाड़ी केन्द्र पर एएनएम, आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, साथिन की एक समन्वय बैठक सुनिश्चित किये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशित किया जाता है कि फील्ड स्वास्थ्य कर्मियों (जिनमें एएनएम, आशा-सहयोगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, तथा साथिन शामिल हैं।) के बीच आपसी समन्वय बढ़ाने के लिए प्रति महीने उपस्वास्थ्य केन्द्र/आंगनबाड़ी केन्द्र के स्तर पर एक समन्वयी बैठक आयोजित किया जाना सुनिश्चित किया जाये जिसमें वे स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकें तथा मासिक आयोजित होने वाली मातृ-शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में समस्याओं का निराकरण आपसी तालमेल से कर सकें। मासिक रूप से आयोजित होने वाली समन्वय बैठक की सूचना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से राज्य स्तर पर भिजवाना सुनिश्चित किया जाए।

  
अतिरिक्त मिशन निदेशक,  
एनएचएम

**प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-**

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं मिशन निदेशक, एनआरएचएम।
3. निदेशक आईसीडीएस, एनआरएचएम।
4. निजी सहायक, निदेशक-आरसीएच।
5. समस्त जिला कलेक्टर/सीईओ।
6. समस्त डीपीएम/डीएसी को लेख है कि इस पत्र की प्रति अपने जिले के विकास अधिकारी को भिजवाना सुनिश्चित करें।
7. समस्त ब्लॉक आशा फैसिलिटेटर/पीएससी आशा सुपरवाइजर।
8. सर्वर रूम, एनआरएचएम।
9. रक्षित पत्रावली।

  
अतिरिक्त मिशन निदेशक,  
एनएचएम